

# असाधारण आम बैठक

शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 सुबह 10.15 बजे

### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Friday, 29<sup>th</sup> April, 2016 10.15 A.M.

प्रधान कार्यालय स्टार हाउस, सी-5 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400~051.



HEAD OFFICE STAR HOUSE, C 5,G BLOCK BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI 400 051

#### सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **शुक्रवार 29 अप्रैल 2016** को सुबह 10.15 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी -5, जी ब्लॉक,बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार करने के लिए की जाएगी:

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर विशेष संकल्प के रूप में, आशोधन सहित या उसके बिना, पारित करने के लिए:

"यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्ज़न एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मितयों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमित प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2009 सेबी- आईसीडीआर विनियमन,भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सबस्टेन्शियल ऐकिज़िशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स)विनियमन 2011,सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और आरबीआई तथा संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशानिर्देश, और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इिकटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमित है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे बोर्ड कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई सिमित भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सिहत इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को निम्नलिखित हेतु सहमित प्रदान की जाती है:-

- ए) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल रु. 1150 करोड़ (रुपए एक हजार एक सौ पचास करोड़) तक के सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित रु. 103.32 प्रति इक्विटी शेयर्स के प्रीमियम सहित रु. 113.32 प्रति शेयर पर नकद हेतु रु. 10/- प्रत्येक (रुपये दस केवल) के 10,14,82,527 तक के इक्विटी शेयर्स सृजित, ऑफर, इश्यू और आबंटित किया जाए।
- बी) भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी)और/ अथवा एलआईसी की विभिन्न योजनाओं को अधिमानी आधार पर कुल रु 153.65 करोड़ (एक सौ तिरपन करोड़ पैसठ लाख केवल) तक सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 (4) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित रु. 86.03 प्रति इक्टिटी शेयर के प्रीमियम सहित रु. 96.03 प्रति शेयर पर नकद हेतु रु.10/- प्रत्येक (रुपए दस केवल) के 1,60,00,000, तक के इकिटी शेयर्स सृजित, ऑफर, इश्यू और आबंटित किया जाए।

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य (इश्यू प्राइज) के निर्धारण की संबंधित तारीख **30 मार्च 2016** है।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमितयां और स्वीकृतियां प्रदान करते/ देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमित दी जाए।"

''आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इकिटी शेयर्स बैंक के मौजूदा इकिटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो इकिटी शेयरों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मित अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।"

''आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतट्कारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपरोक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा किसी भी कार्यपालक निदेशकगण और बैंक के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।''

निदेशक मण्डल के आदेश से प्रभ की देशी (मेलविन रेगो) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 31 मार्च, 2016

#### टिप्पणियां

- 1. बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म सोमवार, 25 अप्रैल 2016 को बैंक के कार्य की समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।
- 2. किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में सोमवार, 25 अप्रैल 2016 को बैंक के कार्य समय समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।
- 3. शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर "परोक्षी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- कार्यसूची मद हेत् व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
- 5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स शेयर प्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि. को निम्नलिखित पते पर लिखें:

बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स: कंपनी सचिव बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि. युनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, 8 वीं मंजिल, 13 एबी समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्पलेक्स, निकट अंधेरी कुर्ला रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन, साकीनाका, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 051. फोन 66684444 मुंबई 400 072. टेलीफोन: 22- 67720300/ 67720400 फैक्स : 22- 28591568 ई-मेल : Headoffice.share@bankofindia.co.in ई मेल: boishareproservices.com Website: www.bankofindia.co.in

#### 6. ई वोटिंग

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने मेसर्स एस एन अनंथसुब्रमनियन एंड कंपनी को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का **ई-वोटिंग अधिकार** उनके द्वारा यथा 22 अप्रैल, 2016 को धारित ईकिटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

### 7. ई-वोटिंग अनुदेश

- शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा 22 अप्रैल 2016 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्किटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।
  - ii. वोटिंग अवधि 26 अप्रैल 2016 के सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और 28 अप्रैल 2016 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।
  - iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर लॉग-ऑन करना होगा।
  - iv. shareholders पर क्लिक करें।
  - v. अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।
    - (ए) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी
    - (बी)एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी
    - (सी) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।
  - vi. डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

- vii. यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- viii. यदि आप पहली बार ई वोटिंग कर रहे हों तो निम्नलिखित का पालन करें :-

	डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पीएएन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक पीएएन (PAN) की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं
(PAN)	भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू)
	• जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉज़िटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने
	नाम के पहले के दो अक्षर और अपने 8 अंकों का डिमेट नं. या फोलियो नं. पीएएन के स्थान पर सूचित
	करें।
	• यदि फोलियो नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों (बड़े अक्षरों में) के बाद उस
	नंबर से पहले आवश्यक संख्या में "0" जोड़ें। अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और सीकवेन्स
	नंबर 1 है तो पीएएन फील्ड़ में RA0000001 लिखें।
जन्मतिथि	कथित डीमैट खाते या फोलियो के लिए dd/mm/yyyy प्रारूप में आपके डीमैट या बैंक अभिलेख में उह्रिखितानुसार
(DOB)	जन्म तिथि की प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक	आपके डीमैट खाते में या बैंक अभिलेख में कथित डीमैट खाते या फोलियो हेतु रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक
विवरण	ब्यौरों की प्रविष्टि करें।
	• लॉगिन करने के लिए कृपया डीओबी या लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। यदि ब्यौरे डिपॉज़िटरी या बैंक
	में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेश (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड़ में
	मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

- ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें।
- x. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे Bank selection स्क्रीन पर जाए। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में जाए जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-नोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- xii. संगत <Company Name> जिस पर आप वोट करना चाहें, हेतु EVSN पर क्लिक करें।
- xiii. वोटिंग पृष्ठ पर आपको Resolution Description दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु 'Yes/No' दिखेगा। इच्छानुसार 'Yes' या 'No' विकल्प चुनें। 'Yes' विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और 'No' विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो RESOLUTIONFILE LINK पर क्लिक करें।
- xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक confirmation box प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो 'OK' पर क्लिक करें अन्यथा आपका वोट बदलने के लिए CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- xvi. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमित नहीं होगी।
- xvii. आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर 'click here to print' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- xviii. यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और 'Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

xix. गैर-एकल शेयरधारक और कस्टोडियन के लिए नोट

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evotingcdslindia-com को ई मेल की जानी चाहिए जिसकी प्रतिलिपि scrutinizersnaco.net को भेजी जाए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडिमन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा।
   अनुपालन यूजर उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- खाते की सूची helpdesk.evotingcdslindia.com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- उनको कस्टोडियन के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में लोड करना होगा ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।
- xx. ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evoting.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। अथवा helpdesk@deslindia.com को ई मेल लिख सकते हैं।
- xxi बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- xxii. ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।
- xxiii. कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते। असाधारण आम बैठक में वोट नहीं दे सकते हैं। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विर्मश, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।
- xxiv. आप फोलियो में यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।

#### 8. बैठक में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जिरए उनका वोट नहीं दिया है वे बैठक में मतदान के जिरए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त स्क्रूटिनाइज़र के तहत मतदान आयोजित और पर्यवेक्षित की जाएगी। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष महोदय बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे।

9. मतदान के परिणाम के साथ जोड़कर ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेजों को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(प्रेम द्वी रेगो

(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 31, मार्च 2016

#### व्याख्यात्मक विवरणपत्र

सेबी-आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII अनुसार किए जाने के लिए यथा अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरणपत्र और प्रकटन

1. बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी रु. 3000 करोड़ है और आज की तिथि में बैंक की चुकता इक्किटी शेयर पूंजी रु. 816.55 करोड़ है।

2. वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता रु. 555.37 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 68.01% है। 30 दिसंबर, 2015 को पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि ₹ (करोड़ों में)	पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्ति बासेल-॥। का %
जोखिम भारित आस्तियां	3,51,113	
कॉमन इक्रिटि कैपिटल(सीईटी-1)	24,580	7.00
अतिरिक्त टियर-। पूंजी	3,085	0.88
टियर-। पूंजी	27,665	7.88
टियर -॥ पूंजी	11,948	3.40
कुल पूंजी	39,613	11.28

- 3. बैंक पिछले कईं वर्षों से सामान्य गित से विकास कर रहा है। लंबी अविध के संसाधन जुटाने एवं सामान्य उधार उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से कारोबार विस्तार करने हेतु निधियों की वृद्धिशील आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसािक निदेशक मण्डल विनिश्चित करे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार और यथा संशोधित भारत सरकार को इकिटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के माध्यम से, बैंक ने निधियां जुटाने का प्रस्ताव किया है।
- 4. वर्तमान संकल्प का पारित किया जाना इसलिए प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उपरोक्त अधिमानी निर्गम एवं आबंटन कर सके।

### 5. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य

पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल (॥ एवं ॥।) अपेक्षाओं के अनुपालन के उद्देश्य से, पूंजी उठाने की सतत आवश्यकता रहती है। सरकार के स्वामित्व की वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों में अतिरिक्त इकिटी पूंजी लगाने का भारत सरकार का प्रस्ताव है। इस प्रकार अर्जित पूंजी का प्रयोग, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

- 6. प्रस्ताव के अभिदान के लिए इश्यू के प्रवर्तकों/निदेशकों/मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव इक्रिटी शेयरों के प्रस्तावित ऑफर का अभिदान बैंक के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार के अलावा कोई निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।
- 7. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व और पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्न:

प्री इश्यू(यथा 31 मार्च 2016)			शेयरों का प्रस्तावित	पोस्ट	इश्यू
विवरण	शेयरों की संख्या	धारिता का %	आबंटन (अनुमानतः)	शेयरों की संख्या	धारिता का %
प्रवर्तक समूह	55,53,72,168	68.01	10,14,82,527	65,68,54,695	70.32
भारत के राष्ट्रपति					
भारतीय जीवन बीमा निगम	11,92,81,603	14.61	1,60,00,000	13,52,81,603	14.48
अन्य शेयरधारक	14,18,98,693	17.38	ı	14,18,98,693	15.20
कुल	81,65,52,464	100.00	11,74,82,527	93,40,34,991	100.00

भारत के राष्ट्रपति वा भारतीय जीवन बीमा निगम का पूर्ण एवं पश्चात इश्यू शेयरधारित्व निम्नानुसार है:

	प्री इश्यू		पोस्ट इश्यू	
	इक्रिटी शेयरों की पूंजी की तुलना में संख्या प्रतिशत		इक्रिटी शेयरों की संख्या	पूंजी की तुलना में प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	55,53,72,168	68.01	65,68,54,695	70.32
भारतीय जीवन बीमा निगम लि.	11,92,81,603	14.61	13,52,81,603	14.48

#### समयावधि जिसके भीतर यह अधिमानी इश्यू पूर्ण किया जाएगा:

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन में निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर इश्यू प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास करता है।

ए) भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 28 मार्च 2016 द्वारा भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) के पक्ष में बैंकमें अधिमानी इकिटी के रूप में रु.1150 करोड़ (रुपये एक हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) की सीमा तक पूँजी को बढ़ाने के अपने उद्देश्य को सूचित किया है। बैंक को भारत सरकार से अभिदान की राशि प्राप्त हो चुकी है।

- बी) भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा सिद्धांत रूप से निम्नलिखित हेतु अनुमोदन की सूचना दी है : सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2009 के अनुसार गणना की गई कीमत पर अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों के अभिदान के लिए, बशर्ते कि उनका एक्सपोजर किसी भी समय बैंक के इश्यू के पश्चात पूंजी से 14.50% से अधिक न हो और जो भारत सरकार द्वारा इक्विटी पूंजी लगाये जाने के अधीन है। बैंक को एलआईसी से भी अभिदान राशि प्राप्त हो चुकी है।
- सी) बैंक के प्रवर्तक के हैसियत से भारत सरकार का बैंक के ऊपर नियंत्रण जारी रहेगा तथा प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- डी) जीवन बीमा निगम की नोटिंग को बैंक की कुल वोटिंग के 10% तक सीमित किया गया है। अत: नए शेयरों के निर्गम से उनके वोटिंग अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

#### 9. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम (इश्यू) का मूल्य निर्धारण

निर्गम का मूल्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी निर्गम(इश्यू) हेतु यथा लागू तथा अद्यतन संशोधित विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

#### 10. सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणन:

मेसर्स ग्रोवर, लल्ला और महेता, सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह प्रमाणित किया है कि शेयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रमाणपत्र प्रति को बैंक की असाधारण आम बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2016 में उपलब्ध कराई जाएगी।

#### 11. लॉक-इन अवधि:

- ए) अधिमानी शेयरों के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार,(i) प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी करने हेतु प्रस्तावित शेयर ट्रैडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष (ii) अन्य निवेशक एक वर्ष तक लॉक-इन अवधि के अध्यधीन रहेंगे।
- बी) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानीधारिता संदर्भ तारीख से शुरु होकर एक अविध के लिए लॉक किया जाएगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुदत्त ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 6 महीनों की अविध तक का होगा। यह अन्य निवेशकों के लिए लागू नहीं है।

### 12. अनुपालन:

- ए) स्टॉक एक्सचेंजों सिहत, जहां बैंक के इकिटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, सूचीकरण करार में निर्दिष्ट इकिटी शेयरों के निरंतर सूचीकरण की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।
- बी) संबंधित तिथि के बाद 6 महीनों के दौरान भारत सरकार ने कोई इकिटी शेयरों की बिक्री नहीं की है।
- सी) सेबी सूचीकरण विनियम-2015 के खंड 41(4) में अन्य बातों के साथ यह दिया गया है कि सूचीबद्ध संस्था, सबसे पहले बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु प्रस्तावित सभी शेयरों (जब्त शेयर सिहत), प्रतिभूतियों, अधिकारों विशेषधिकारों और लाभों को प्रस्तावित किए जाएंगे, जब तक कि साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो। पूर्ण प्रदत्त इिकटी शेयर आबंटित करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है, जो बैंक के वर्तमान शेयर धारकों को यथानुपात के अलावा हैं, उक्त विशेष संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव सेबी-आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी अनिवार्य है।

#### 13. वचन:

- ए) बैंक वचन देता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ भी करने की आवश्यकता है, इक्किटी शेयर के कीमत की पुन: गणना करेगा।
- बी) बैंक वचन देता है कि कीमत के पुन: गणना के कारण देय रकम का इन विनियमन में निर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो आबंटिती द्वारा रकम का भुगतान न किए जाने तक यह निर्दिष्ट प्रतिभूति की अवरूद्ध अवधि जारी रहेगी।

आपके निदेशक नोटिस में दिए गए विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशकगण/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (KMP) और उनके रिश्तेदार इस नोटिस के संकल्प (पों) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से प्रिंग आर्टिशी (मेलविन रेगो) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 31 मार्च, 2016



#### NOTICE

**NOTICE** is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of India will be held on Friday, **29**<sup>th</sup> **April**, **2016** at **10.15 AM** at **Bank of India Auditorium**, Star House, BandraKurla Complex, Mumbai 400 051 to transact the following **special businesses**:

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations], Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution)

- A) to create, offer, issue and allot **upto 10,14,82,527 equity shares** of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) for cash at **Rs. 113.32 per share** including premium of **Rs. 103.32** per equity share as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto **Rs.1150** Crore (One Thousand One Hundred Fifty Crore only) on preferential basis to Government of India (President of India)."
- B) To create, offer, issue and allot upto **1,60,00,000 equity shares** of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) for cash at **Rs. 96.03 per share** including premium of Rs. 86.03 per equity share as may be determined by the Board in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto Rs. 153.65 Crore (Rupees One Hundred Fifty Three Crore Sixty five Lac only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India (LIC) and / or various Schemes of LIC.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 30th March, 2016."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *paripassu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director& CEO or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board

g-ego,

(Melwyn Rego)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 31.03.2016

Notes:

- 1. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS OF 4.30 P.M. ON MONDAY 25th, APRIL 2016.
- 2. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank on or before the closing hours of 4.30 p.m. on Monday 25th, April 2016.



- 3. For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
- 4. The explanatory statement to the item on the agenda is annexed hereto.
- 5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Sharepro Services India Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary
Bank of India, Head Office,
Star House, C – 5, 'G' Block
8th Floor, Bandra Kurla complex,

Bandra (East), Mumbai 400 051. **Phone: 66684444.** 

Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

Website: www.bankofindia.co.in

Bank's Registrar and Share Transfer Agents:

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,

Unit: Bank of India

13 AB Samhita Warehousing Complex

Off. AndheriKurla Road

Sakinaka Telephone Exchange Lane Sakinaka, Andheri East, Mumbai 400 072

Tel: 22-67720300 / 67720400

Fax: 22 - 28591568

E mail: boi@shareproservices.com

#### 7. E-Voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian & Co. as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on April 22, 2016 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

#### 8. E-voting Instructions

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on 22<sup>nd</sup> April, 2016 (Cut-off Date) fixed for the purpose.
- (ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on 26<sup>th</sup> April, 2016 and will end at 5.00 p.m. on 28<sup>th</sup> April, 2016. The e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on shareholders
- (v) Now enter your User ID
  - (a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID
  - (b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID
  - (c) Members holding shares in physical form should enter Folio number registered with the Bank.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to <a href="https://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat and Physical Form
PAN	<ul> <li>Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</li> <li>Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN Held.</li> <li>In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. Eg, if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA0000001 in the PAN field.</li> </ul>
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio.  • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)

(ix) After entering these details appropriately, click on `SUBMIT' tab.

- (x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach `password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.
- (xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name> on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see `Resolution Description' and against the same the option `Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the `Click here to print' option on the Voting page.
- (xviii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Note for Non-Individual Shareholders and Custodians
  - Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and CC to scrutinizer@snaco.net
  - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password.
     The Compliance user would be able to link the accounts(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts should be mailed to <a href="helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
  - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at <a href="https://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> under help section or write an email to <a href="https://www.evotingindia.com">helpdesk@</a> deslindia.com.
- (xxi) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- (xxii) The results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- (xxiii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on voting at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xxiv) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

#### 8. Voting at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order Poll in respect the item on the agenda. Members attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting through Poll. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed.

9. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board

gege.

(Melwyn Rego)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 31.03.2016

#### **EXPLANATORY STATEMENT**

#### Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations.

- 1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is Rs.3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is Rs. 816.55 Crore.
- 2. Presently, the shareholding the of Government of India in our Bank is Rs. 555.37 Crore, which constitutes 68.01% of total paid-up capital of the Bank.

The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 31st December, 2015 is as under:

Particulars	AmountRs. in Crore	% of capital funds to risk weighted asset Under Basel-III
Risk Weighted Assets	3,51,113	
Common Equity Capital (CET-1)	24,580	7.00
Additional Tier-1 Capital	3,085	0.88
Tier-I Capital	27,665	7.88
Tier-II Capital	11,948	3.40
Total Capital	39,613	11.28

- 3. The Bank is growing at a normal growth rate over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential Issue of equity shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date to Government of India.
- 4. The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.
- 5. Objects of the proposed Preferential Issue:

With a view to comply with BASEL (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. Government of India proposes to infuse additional equity capital into the Bank to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

6. Proposal of the Promoters/ Directors/ Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Director or Key Management Persons other than the Promoter of the Bank i.e. Government of India intends to subscribe to the offer of equity shares.

7. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

	Pre Issue (As on 31st March 2016)		Proposed Allotment of	Post	Issue
Particulars	No. of Shares	% of Holding	Shares	No. of Shares	% of Holding
Promoter Group The President of India	55,53,72,168	68.01	10,14,82,527	65,68,54,695	70.32
LIC of India	11,92,81,603	14.61	1,60,00,000	13,52,81,603	14.48
Other Shareholders	14,18,98,693	17.38	-	14,18,98,693	15.20
Total	81,65,52,464	100.00	11,74,82,527	93,40,34,991	100.00

8. The Pre and Post Issue shareholding of President of India and LIC will be under:-

	Pre Issue		Post Issue	
	No. of equity shares	Percentage to Capital	No. of equity shares	Percentage to Capital
President of India	55,53,72,168	68.01	65,68,54,695	70.32
Life Insurance Corporation of India	11,92,81,603	14.61	13,52,81,603	14.48

#### The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The Bank endeavors to complete the Issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

- a) Government of India vide their letter dated 28<sup>th</sup> March, 2016 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs. 1150 crore (Rs. One thousand One Hundred Fifty Crores Only) as preferential equity in the Bank in favour of the Government of India (President of India). The Bank already received the subscription money from the Government of India.
- b) Life Insurance Corporation of India vide their letter dated 26th February, 2016 communicated its In Principal approval for subscription of equity shares on preferential basis at a price calculated as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009, subject to their expense not exceeding 14.50% of post issue capital of the Bank at any print of time and subject to infusion of equity capital by Government of India. The Bank has also received the subscription money from LIC.
- c) Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.
- d) The voting of Life Insurance Corporation is restricted to the 10% of total voting of the Bank. Hence by issuance of fresh shares will not increase their voting right.

#### 9. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.

#### 10. Certification from Statutory Auditors:

M/s. Grover, Lalla & Mehta, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Bank, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate will be available at the Extraordinary General Meeting on 29<sup>th</sup> April, 2016.

#### 11. Lock-in period:

- A) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the (i) Promoters i.e. Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval. (ii) for Life Insurance Corporation of India one year from the date of trading approval.
- B) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchange. It is not applicable in case of Other Investors.

#### 12. Compliance:

- a) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- b) The Government of India (Promoters) has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- c) Clause 41 (4) of SEBI Listing Regulations-2015, provide inter-alia that the listed entity shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe pro rata basis, to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.

#### 13. **Undertakings:**

- d) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- e) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors/key managerial personal of the Bank/there relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank

By order of the Board

(Melwyn Rego)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 31.03.2016 BOI ★

### बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोलियो नं		डीपी आईडी नं	
(यदि डीमेट न किया गया हो)		ग्राहक आई डी नं	
		(यदि डीमेट किया गया हो)	
		परोक्षी फार्म	
	(शेयरधारव	क द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)	
मैं/हम	निवासी	ज़िला र	राज्य
बैंक ऑ	íफ़ इंडिया का/के शेय <sub>े</sub>	रधारक ह्ं/हैं और मैं/हम एतदद्वारा श्री/श्रीमतीनिव	त्रासी
		राज्य	
		निवासी	
ज़िला	राज्य	को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से दि	नांक
29 अप्रैल 2016 को आयोजित	बैंक ऑफ़ इंडिया के :	शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के	लिए
परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं,	/करते हैं।		
माह	_ की	2016 को हस्ताक्षरित।	
परोक्षी के हस्ताक्षर			
नामः			
पताः			

### परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- 1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
  - क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
  - ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
  - ग. निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
- 2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षारित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- 3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पाँवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पाँवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकारिजसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।
  - बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.
- बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- 5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- 6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- 7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



### **Bank of India**

Head Office : Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No.		DP	ID No	
(if not dematerialised)		Clie	nt ID No	
		(if d	ematerialised)	
	PROXY F	ORM		
	(To be filled in and signed	by the Shareholder)		
I/We,	resi	dent of		
in the district of	in the state of		being a shareholde	er/shareholders of
Bank of India, hereby appoint Shri	i/Smt			_,resident of
	in the district of	in the state of		OI
failing him/her Shri/Smt.	re	esident of		in
the district of	in the state of	as my/our pro	oxy to vote for me/u	ıs and on my/oui
behalf at the Meeting of the shareh	olders of Bank of India to be h	neld on 29 <sup>th</sup> April, 201	6 and at any adjour	nment thereof.
Signed this	day of2	2016.		7
Signature of Proxy				
Name			Revenue	
Address			Stamp	
		 Sian	ature of first named	<del>-</del> /sole shareholde:

#### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
  - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
  - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- 3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAY** before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at: Bank of India, Share Department Head Office, 8<sup>th</sup> Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051.
- 4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
- 7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

#### उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

### असाधारण आम बैठक हेत्

दिनांक: 29 अप्रैल 2016, समय: प्रात: 10.15 बजे

#### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Date: 29th April 2016, Time 10.15 AM

Bank of India Auditorium, Star House, C 5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

#### उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेत्)

#### ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) सदस्य/परोक्षी/एआर)	फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं.	शेयरों की संख्या
NAME : IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	Folio No./ Client ID No.:	No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the shareholder / proxy / Representative present



(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

#### **ENTRY PASS**

(To be retained throughout the meeting)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) सदस्य/परोक्षी/एआर)	फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं.	शेयरों की संख्या
NAME : IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	Folio No./ Client ID No.:	No. of Shares

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों अथवा प्रतिनिधियों से अन्रोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश–पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पर्ची की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

Share holders/proxy holders or representatives are requested to produce this attendance slip - cum - entry pass, duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/ proxy holders/ representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum-entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

पश्चलेख : बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जायेंगे।

P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.

## **GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE**

